नियम 87 : इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता

(1) धारा 49 की उप–धारा (1) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी–05** में रखा जाएगा जो जमा की गई रकम को जमा करने के लिए और कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए उससे संदाय को विकलित करने के लिए सामान्य पोर्टल पर कर, ब्याज, शास्ति, विलम्ब फीस या किसी अन्य रकम का संदाय करने का दायी है।

(2) कोई व्यक्ति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी पीएमटी–06** में चालान तैयार करेगा और कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए उसके द्वारा जमा की जाने वाली रकम के ब्यौरे प्रविष्ट करेगा :

[1][**परन्तु** सामान्य पोर्टल सृजित किया गया **प्ररूप जीएसटी पीएमटी–06** में चालान पन्द्रह दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगा :]

[3][.....]

(3) उप–नियम (2) के अधीन निक्षेप निम्नलिखित ढंगों में से किसी ढंग के माध्यम से किया जाएगा, अर्थात् :

i) प्राधिकृत बैंक के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग;

[4][**(ik)** किसी बैंक से एकीकृत संदाय अंतरापृष्ठ (यूपीआई);

(ikh) किसी बैंस से तत्काल संदाय सेवा (आई एम पी एस);]

(ii) प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड;

(iii) किसी बैंक से राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण या वास्तविक समय सकल परि–निर्धारण;

(iv) नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा चालान, प्रति कर अवधि दस हजार रूपए तक निक्षेपों के लिए प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से काउंटर संदाय पर :

परन्तु काउंटर संदाय पर के मामले में प्रति चालान दस हजार रूपये तक निक्षेप के लिए निर्बंधन निम्नलिखित द्वारा किए जाने वाले निक्षेप को लागू नहीं होगा :

(क) सरकारी विभागों या व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कोई अन्य निक्षेप, जो इस निमित्त आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए;

ख) किसी व्यक्ति से, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, परादेय शोध्यों, जिनके अंतर्गत जंगम या स्थावर संपत्तियों की कुर्की या विक्रय के माध्यम से की गई वसूली भी है;

---

1 अधिसूचना क्रमांक 22/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 17.08.2017 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 17.08.2017)।

3 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 26.06.2019 द्वारा परंतुक विलोपित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**परन्तु** यह और कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट अकराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्त सेवा का प्रदाय करने वाला व्यक्ति बोर्ड की संदाय प्रणाली अर्थात् बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से उत्पाद शुल्क और सेवा कर में इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रणाली के माध्यम से भी ऐसा कर सकेगा।"

4 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.202 द्वारा उपखंड (ik) एवं (ikh) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)।

(ग) किसी अन्वेषक या प्रवर्तन क्रिया–कलाप के दौरान नकद, चेक या डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से संगृहीत रकमों के लिए या किसी तदर्थ निक्षेप के लिए समुचित अधिकारी या कोई प्राधिकृत अन्य अधिकारी;

[5][**परन्तु** यह और कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट अकराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्य सेवा का प्रदाय करने [6][वाला व्यक्ति या धारा 14क में यथानिर्दिष्ट भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बहार किसी स्थान से आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाला कोई व्यक्ति] बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से विश्वव्यापी इंटर बैंक वित्तीय दूरसंचार संदाय नेटवर्क सोसाइटी के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा अंतरण के माध्यम से उप–नियम (2) के अधीन भी निक्षेप कर सकेगा।]

स्पष्टीकरण– इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि चालान में उपदर्शित किसी रकम का संदाय करने के लिए, ऐसे संदाय की बाबत संदेय कमीशन, यदि कोई हो, ऐसा संदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा।

4) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किया जाने वाला अपेक्षित संदाय सामान्य पोर्टल [7][नियम 16क के अनुसार] के माध्यम से तैयार किए गए अस्थायी पहचान संख्या के आधार पर किया जाएगा।

(5) जहां संदाय किसी बैंक से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या वास्तविक समय सकल निपटान [8][या तत्काल संदाय सेवा] ढंग के माध्यम से किया जाता है वहां अनिवार्य प्ररूप सामान्य पोर्टल पर चालान के साथ तैयार किया जाएगा और उसे उस बैंक को, जहां से संदाय किया जाना है, प्रस्तुत किया जाएगा :

परन्तु अनिवार्य प्ररूप चालान किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के लिए वैध होगा।

(6) प्राधिकृत बैंकों में बनाए गए सम्बद्ध सरकारी खाते में रकम के सफल प्रत्यय पर, चालान पहचान संख्या संग्राही बैंक द्वारा तैयार की जाएगी और उसे चालान में उपदर्शित किया जाएगा।

(7) संग्राही बैंक से चालान पहचान संख्या के प्राप्त हो जाने पर उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा कर दी जाएगी जिसकी ओर से निक्षेप किया गया है और सामान्य पोर्टल पर इस आशय की रसीद उपलब्ध कराएगा।

---

5 अधिसूचना क्रमांक 22/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 17.08.2017 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 17.08.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

परन्तु यह और कि सामान्य पोर्टल पर तैयार किए गए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी–06** में चालान पन्द्रह दिन की अवधि के लिए वैध होगा।

6 अधिसूचना क्रमांक 51/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2023 द्वारा ''वाला व्यक्ति'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)

7 अधिसूचना क्रमांक 07/2025–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2025 द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोघन प्रभावशील नहीं किया गया है।

8 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)।

(8) जहां सम्बद्ध व्यक्ति या उसकी ओर से जमा करने वाले व्यक्ति का बैंक खाते में से विकलन किया जाता है किन्तु कोई चालान पहचान संख्या तैयार नहीं की जाती है या तैयार की जाती है किन्तु सामान्य पोर्टल को संसूचित नहीं की जाती है तो वहां उक्त व्यक्ति सामान्य पोर्टल के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी पीएमटी–07** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंक या इलेक्ट्रॉनिक गेटवे को अभ्यावेदन कर सकेगा जिसके माध्यम से निक्षेप की पहल की गई थी।

[9][**परन्तु** जहां बैंक सामान्य पोर्टल पर चालान पहचान संख्या के विवरण को सम्प्रेषित करने में विफल रहता है, इलैक्ट्रानिक कैश लेजर को उन मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के ई–स्क्रॉल के आधार पर अपडेट किया जा सकता है, जहां उक्त ई–स्क्रॉल की कॉमन पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी पीएमटी–06** में उत्पन्न चालान के ब्यौरे के साथ अनुरूपता है।]

(9) धारा 51 के अधीन कटौती की गई या धारा 52 के अधीन संग्रहीत की गई और ऐसे रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति से, जिससे, यथास्थिति, उक्त रकम की कटौती की गई थी या संग्रहीत की गई थी, [10][.....] में दावा की गई कोई रकम [11][.....] उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा की जाएगी।

(10) जहां किसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रानिक नकद खाते से किसी रकम के प्रतिदाय का दावा किया है, वहां उक्त रकम इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में से विकलित की जाएगी।

(11) यदि इस प्रकार दावा किया गया प्रतिदाय पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया जाता है तो उप–नियम (10) के अधीन विकलित रकम नामंजूर के विस्तार तक **प्ररूप जीएसटी पीएमटी–03** में किए गए आदेश द्वारा समुचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा की जाएगी।

(12) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में कोई विसंगति दिखाई पड़ने पर, उसे **प्ररूप जीएसटी पीएमटी–04** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा।

[12][(13) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, साधारण पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी पीएमटी–09** में एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के लिए इलैक्ट्रानिक नकद खाते में, अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध कर, ब्याज, शास्ति, फीस की रकम या किसी अन्य रकम को अंतरित कर सकेगा।]

[13][(14) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, सामान्य पोर्टल पर, अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में, उपलब्ध कर की किसी रकम, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम को **प्ररूप जीएसटी पीएमटी–09** में धारा 25 की उपधारा 4 या उपधारा 5, जैसी स्थिति हो, में

---

9 अधिसूचना क्रमांक 26/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।

10 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा ''**प्ररूप जीएसटीआर–02**'' विलोपित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

11 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा ''नियम 87 के उपबंधों के अनुसार'' विलोपित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

12 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा उपनियम (13) अंतःस्थापित। इस उपनियम (13) को अधिसूचना क्रमांक 37/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.04.2020 द्वारा दिनांक 21.04.2020 से प्रभावशील किया गया।

13 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा उपनियम (14) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)।

यथाविनिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्ति के केन्द्रीय कर या एकीकृत कर के लिए इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा :

परंतु ऐसा कोई अंतरण तब अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने इलैक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर में कोई असंदत्त दायित्व रखता है;]

स्पष्टीकरण 1. : प्रतिदाय नामंजूर किया हुआ समझा जाएगा यदि अपील को अन्तिम रूप से नामंजूर कर दिया जाता है।

स्पष्टीकरण 2. : इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिदाय को नामंजूर किया हुआ समझा जाएगा, यदि अपील को अन्तिम रूप से नामंजूर कर दिया जाता है या यदि दावेदार समुचित अधिकारी को वचन देता है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा।